राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था
पंत कृषि भवन, जनपथ जयपुर–302005

क्रमांकः एफ 2( )बीप्रसं/स्टोर/2018/ दिनांक :

नीलामी–सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पंत कृषि भवन, तृतीय तल, भगवान दास रोड़, जनपथ, जयपुर स्थित संस्था मुख्यालय में कागज रद्दी व अन्य कबाड का बेचान/निस्तारण खुली बोली द्वारा दिनांक 22.01.2018 को मध्यान्ह् पश्चात् 03:00 बजें कार्यालय परिसर में किया जावेगा। कागज रद्दी व कबाड सामग्री की मात्रा व स्थिति संस्था मुख्यालय पर कार्यालय समय में देखी जा सकती है। बेचान/निस्तारण किये जाने वाले कागज रद्दी व अन्य कबाड सामग्री- का विवरण निम्नानुसार है :–

1. क्षेत्र निरीक्षण एवं बीज प्रमाणीकरण से संबंधित फार्म 1–ए, 1–बी, बीज उत्पादक कृषक आवेदन पत्र, क्षेत्र निरीक्षण रिपोर्ट इत्यादि के पुराने रिकार्ड की रद्दी।
2. लेखा संबंधी बिल/बाउचर्स का पुराना नष्ट किये हुये रिकार्ड की रद्दी।
3. अमानक बीज लॉटस के नष्ट किये हुए पुराने टैग्स, अनुपयोगी डबल सीरीज के पुराने नष्ट किये हुए टैग्स, कटे–फटे पुराने नष्ट किये हुए टैग्स।
4. प्रिन्टिग मशीन पर प्रिन्टिग के दौरान खराब हुए एवं नष्ट किये हुए टैग्स के कागज की रद्दी।
5. प्रिन्टिग मशीन से प्रिन्टेड टैग्स कार्ड शीट की कटिंग से प्राप्त कतरन की रद्दी।
6. पुराने अखबार की रद्दी।
7. मुख्यालय कमरा संख्या 374 में मरम्मत कार्य के बाद प्राप्त अनुपयोगी प्लाईवुड बोर्ड, खिड़की, दरवाजा फ्रेम, जाली व लोहे की अन्य सामग्री इत्यादि।
8. संस्था वाहनों के पुराने व अनुपयोगी टायर–ट्युब व पुराने स्पेयर पार्टस सामग्री इत्यादि।

बोली की शर्ते निम्न प्रकार से है :–

1. बोली में भाग लेने से पूर्व बोलीकर्ता को कमेटी के पास रुपयें 1000/– की राशि नगद जमा करानी होगी जो बोली के खत्म हो जाने के बाद असफल बोलीदाताओं को तुरन्त वापिस कर दी जावेगी और सफल बोलीदाता की राशि को निस्तारण की राशि में समायोजन कर लिया जावेगा।
2. अधिकतम बोलीकर्ता को बोली की पूरी राशि नगद उसी समय/दिन को जमा करानी होगी।
3. अधिकतम बोलीकर्ता को अपने साधन से कार्यालय से उक्त सामान उठाना होगा।
4. माल की छटवाई, तुलवाई व अन्य समस्त व्यय माल उठाने वाली पार्टी के होंगे।
5. कागज रद्दी जहां है जैसी स्थिति में है, उसी स्थिति में उनका बेचान/निस्तारण किया जाना है।
6. बोली छोड़ने, ना छोड़ने निरस्त करने का समस्त अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता को होगा।
7. नीलामी की तिथी से 3 कार्य दिवस के अन्दर माल उठवाना होगा अन्यथा जमा राशि जब्त कर ली जावेगी।

अतः निर्धारित दिवस एवं समय पर उपस्थित होकर बोली लगावें।

10914–17 16/1/18

(मधुसूदन शर्मा)
निदेशक

प्रतिलिपि सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–
1. लेखाशाखा, मुख्यालय जयपुर।
2. नोटिस बोर्ड–कृषि भवन, संस्था मुख्यालय नोटिस बोर्ड, जयपुर।
3. समस्त कमेटी सदस्य, मुख्यालय जयपुर।

निदेशक